न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 74/2022 राजस्व वाद

श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री दिलीप जाति ढोली आयु बालिग निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री –अधिवक्ता प्रार्थी/वादी

2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 04.10.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादी के विरूद्व धारा 88, 89, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 9423/9409 रकबा 0.1502 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर दर्ज है, जिस पर वादीया काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजियात के सटमा पश्चिम दिशा मे स्वयं की आराजी नम्बर व अन्य है, जो राजस्व रेकार्ड मे मोके पर विद्यमान होकर अनवरत कृषि हेतु उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीया की उक्त आराजी मे रोड़ निकालने पर आमादा है, वादीया द्वारा प्रतिवादी को उक्त संबध मे शिकायत की व कहा कि उक्त आराजियात वादीया की खातेदारी भूमि है, जिसमे किसी प्रकार का रोड़ आदि नही निकाले व दिनांक 28/04/2022 को मौके पर रास्ता निकालने की धमकी दी व वादीया को बेदखल कर दिया गया तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी व वादीया द्वारा निवेदन किया कि वादीया की आराजी मे से रास्ता हेतु उपयोग के लिए जमीन अवाप्त की जाती है तो न्यायालय द्वारा जमीन के बदले जमीन दिलायी जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा मामले मे जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं सामग्री का अध्ययन किया जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट पटवारी, भू.अ.नि. करेडा एवं तहसीलदार करेडा के अनुसार वादीया की आराजी नम्बर 9423/9409 रकबा 0.1502 हैक्टयर मे से 0.0937 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में अधिग्रहीत होकर उपयोग मे आना व वादीया की उक्त आराजी के सहारे–सहारे सटमा बिलानाम आराजी नम्बर 2456 रकबा 0.0632 हैक्टयर भूमि बिलानाम दर्ज है। उक्त बिलानाम भूमि के कुल रकबा 0.0632 हैक्टैयर में से 0.0360 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे काम आ रही है व शेष भूमि पड़त होकर वादिया के कब्जे में है। वादीया द्वारा अपनी भूमि के रास्ते में अधिग्रहीत के बदले कोई मुआवजा राशि भूमि प्राप्त नहीं की है। अतः वादिया ने कब्जेशुदा शेष बिलानाम आराजी 2456 की एवं अपनी शेष खातेदारी आराजी नंबर 9423/9409 की तरमीम को शुद्ध कर क्षतिपूर्ति किए जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 9423/9409 रकबा 0.1502 हैक्टयर मे से 0.0937 हैक्टयर भूमि जिस पर रास्ता निकला हुआ है, जो रास्ते के रूप मे दर्ज की जावे व बिलानाम आराजी नम्बर 2456 रकबा 0.0632 हैक्टयर मे से रास्ते का रकबा 0.0360 हैक्टयर को यथावत रखते हुए शेष रकबा 0.0272 हैक्टयर को वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज कराई जाकर प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम शुद्ध की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:00:18
Reason: SelfAttested

(महिपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)